लाभांश वितरण नीति

प्रस्तावना

लाभांश वितरण नीति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के विनियमन 43 ए के लागू प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है, यथासंशोधित किया गया है (बाद में इसे 'लिस्टिंग विनियम' कहा जाता है)। एमएसटीसी लिमिटेड (''कंपनी'') के निदेशक मंडल बाद में इसे ''बोर्ड'' कहा जाता है, ने कंपनी की लाभांश वितरण नीति (''नीति'') को मंजूरी दे दी है और स्वैच्छिक आधार पर इसका प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा। यह नीति कंपनी द्वारा मार्गदर्शन उद्देश्यों के लिए लाभांश की घोषणा हेतु अपनाए गए सामान्य मापदंडों को निर्धारित करती है।

उद्देश्य

कंपनी ने शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने का उद्देश्य रखा है और उनका मानना है कि यह गतिशील विकास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नीति लाभांश के माध्यम से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाने का प्रयास करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी की वृद्धि व अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाभ बरकरार रहे। नीति का उद्देश्य लाभांश घोषणा के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना है।

प्रभाव तिथि

निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगी।

नीतिगत ढांचा

नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी विनियमों, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य दिशा निर्देशों कंपनी पर लागू सीमा तक जारी किए गए हैं। इन प्रावधानों में कोई भी बाद में संशोधन, इस नीति पर लागू होता है। नीति विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद लाभांश की घोषणा/सिफारिश के बारे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का विकल्प नहीं है।

लाभांश

लाभांश कपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को शेयर पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभ भुगतान किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश का भुगतान अंतरिम या अंतिम रूप में किया जा सकता है।

आंतरिक लाभांश

(क) कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा करेगा, जब कभी वे इसे घोषत करना उचित माने।

(ख) अंतरिक लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक बार घोषित किया जा सकता है और आम तौर पर, बोर्ड के तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद अंतरिक लाभांश की घोषणा पर विचार कर सकता है।

(ग) अंतरिक लाभांश, यदि घोषित किया गया है, तो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, योग्य शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा। पहला अंतरिक लाभांश, यदि कोई हो, को दूसरी तिमाही/छमाही के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई बोर्ड बैठक में घोषित किया जा सकता है और यदि कोई हो, तो उसके लिए दूसरी अंतरिक लाभांश यदि कोइ हो, तो उसके लिए वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीय विवरण के अनुमोदन के समय घोषणा की जा सकती है।

(घ) अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया जाए। यदि कंपनी द्वारा किया भी अंतिम लाभांश की घोषणा नहीं की गई हो, यदि कोई हो, कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में अंतिम लाभांश के रूप में विचार किया जाएगा।

अंतिम लाभांश

(क) अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, तो वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के बाद एक वित्तीय वर्ष में एक बार भुगतान किया जाता है।

(ख) निदेशक मंडल कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों को उनकी मंजूरी के लिए अंतिम लाभांश की सिफारिश करेगा। अंतिम लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में लेन-देन करने के लिए सामान्य व्यापार वस्तुओं में शामिल किया जाएगा।

(ग) अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और अन्य कानूनों के अधिकतम लागू प्रावधानों के अनुसार योग्य शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा।

वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं:-

1. लाभांश भुगतान के बारे में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह अपने शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की मात्रा और कंपनी की भविष्य में वृद्धि और आधुनिकीकरण विस्तार योजना के लिए व्यापार में बनाए रखे जाने वाले लाभ की मात्रा को निर्धारित करता है। कंपनी कंपनी के शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के साथ अपनी तात्कालिक और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील और गतिशील लाभांश वितरण नीति को अपनाना जारी रखेगी। वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा, इसके लिए विचार वैधानिक, आर्थिक, बाजार, उद्योग, बाहरी और आंतरिक कारकों पर विचार किया जाएगा।

कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश की घोषणा या कम दर पर लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है:

(क) कंपनी के नुकसान या अपर्याप्त मुनाफा कमाने की स्थिति में है;

(ख) जहां कंपनी कैपेक्स, उच्च पूंजी आवंटन, कार्यशील पूंजी, अतीत में ले लिया ऋण की चुकौती के लिए धन की आवश्यकता होती है;

(ग) नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता; तथा

(घ) वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की उच्च लागत

यह ध्यान दिया जा सकता है कि लाभांश की घोषणा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन/विभाग या किसी अन्य प्राधिकरण के द्वारा जारी दिशानिर्देशों प्रावधानों के अधीन होगी।

लाभांश वितरण के लिए मानदंड

- कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है यानी इक्विटी शेयर और, इसलिए मापदंडों का खुलासा समान लागू दिशानिर्देशों के अधीन है।

- बोर्ड एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश के भुगतान पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित (कारकों) पर विचार कर सकता है:

  - कंपनी के सामान्य आरक्षित कोष के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के लाभ
  - भविष्य के मुनाफे और नगद प्रवाह का अनुमान;
  - ऋण स्तर और उधार लेने की प्रतिबद्धता सहित उधार लेने की क्षमता;
  - जैविक/अजैविक विकास की योजना सहित कंपनी के वर्तमान और भविष्य के पूंजीगत व्यय की योजना;
  - कर सहित लागू कर लाभांश;
  - कंपनी अधिनियम या किसी अन्य वैधानिक दिशानिर्देशों सहित भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन;
  - कंपनी और उद्योग के लिए पिछले लाभांश की प्रवृत्ति;
  - अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजार की स्थिति; तथा
  - बोर्ड द्वारा उचित प्रतीत होने वाला कोई अन्य कारक

- एक वर्ष के लिए मुनाफे को बोर्ड के विवेक पर इस उद्देश्य के लिए, कानून, लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप असाधारण या एक बंद वस्तुओं या गैर-नकद वस्तुओं को बाहर करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक और बाहरी कारक

वास्तविक लाभ और प्रस्तावित प्रमुख पूंजीगत व्यय जैसे पूर्वोक्त मापदंडों के अलावा, लाभांश भुगतान या मुनाफे के प्रतिधारण का निर्णय भी निम्नलिखित कारकों/मापदंडों पर आधारित होगा:

1. **नकदी प्रवाह** - यदि कंपनी पर्याप्त परिचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो उसे अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और कभी-कभी दिन-प्रतिदिन के कार्यों को चलाने के लिए बाहर से धन की आवश्यकता पड़ सकती है। बोर्ड अपने फैसले से पहले उसी पर विचार करेगा कि लाभांश घोषित किया जाए या उसका मुनाफा बरकरार रखा जाए।
2. **उधार की लागत**- बोर्ड कंपनी द्वारा प्रस्तावित लंबी अवधि या अल्पावधि परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता का विश्लेषण करेगा और बाहरी स्रोतों मसलन बैंकरों, उधार संस्थानों या ऋण प्रतिभूतियों के जारी करने या अपने स्वयं के निधियों को वापस लेने हेतु आवश्यक धन जुटाने की लागत के संदर्भ में विकल्पों की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

3. **कराधान और अन्य विनियामक चिंता** - भारत में कर विनियमों के अनुसार लाभांश वितरण कर या किसी भी कर में कटौती, जैसाकि लाभांश की घोषणा के समय और एमएसटीसी के वित्त पर इसका प्रभाव लागू हो सकता है।

4. **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियां**- देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे नीति निर्धारण जो सरकार द्वारा गठित हो और ऐसी ही अन्य स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित हो, जो कंपनी के व्यवसाय पर असर डाल सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। तब प्रबंधन, अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाभ के बड़े हिस्से से पर्याप्त आरक्षण को रखने पर विचार कर सकता है।

5. **पिछला प्रदर्शन/लाभांश इतिहास और कंपनी की प्रतिष्ठा** - व्यावसायिक स्थान में एमएसटीसी का खड़ा होना, इसका लाभांश भुगतान इतिहास और कंपनी की समय प्रतिष्ठा पर निर्णय का प्रभाव है।

5. लाभांश की घोषणा के समय कंपनी के लिए लागू होने वाले किसी भी विनियमन के आधार पर लाभांश के भुगतान पर कोई प्रतिबंध।

लाभांश भुगतान अनुपात

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश का निर्धारण बोर्ड द्वारा विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नीति में पहले से लागू किए गए अन्य आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार करके किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एमएसटीसी लिमिटेड पर लागू लाभांश भुगतान के अनुपात को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

- कंपनी निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें महत्वपूर्ण पूंजी परिव्यय की योजना है। लाभांश के वितरण के बाद, बरकरार रखी गई आय, मुख्य रूप से इस उद्देश्य हेतु उपयोग की जाएगी।

सामान्य

- नीति के किसी भी नए नियामक प्रावधान के साथ असंगत होने की स्थिति में, इस तरह के नियामक प्रावधान इस नीति के संगत प्रावधान पर प्रबल होंगे और नीति के इस तरह प्रावधान प्रभावी तिथि से संशोधित किया जाएगा।

- कंपनी नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों में फेरबदल करने, संशोधित करने, जोड़ने, हटाने या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है क्योंकि यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय प्राधिकरण या भारत सरकार या किसी अन्य नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार उचित प्रतीत हो सकता है। हालांकि, नीति में बदलाव का खुलासा कंपनी की वेबसाईट पर औचित्य के साथ-साथ मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।